सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-03.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अजय कुमार, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री छत्रपति यादव, स०वि०स० श्री सूर्यकान्त पासवान, स०वि०स० श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स० श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स० श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स०वि०स० डॉ० सत्येन्द्र यादव, स०वि०स०	"राज्य के प्रत्येक गाँवों एवं शहरों की आबादी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन बढ़ती आबादी के अनुपात से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं होने के कारण पटना सहित राज्य के 19 जिलों में वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है । बिहार के कई शहर वायु प्रदूषण के मामले में अव्वल रहे हैं, जबकि बिहार के शहरों में इंडस्ट्री की संख्या बहुत ही कम है, फिर भी यह देश में सबसे अधिक प्रदूषित राज्य है । राज्य के कुछ शहरों का ए०क्यू०आई० लेवल पटना-424, मुजफ्फरपुर-455, समस्तीपुर-459, पूर्णिया-446, कटिहार-449, भागलपुर-477, दरभंगा-447, बेगूसराय-470, सीवान-488, मुंगेर-378, आरा-372, वैशाली-371, अररिया-357, किशनगंज-353, गया-349, मोतिहारी-343, औरंगाबाद-323, छपरा-420, सहरसा-405 है । प्रदूषण की वजह से राज्य के लोग प्रभावित हो रहे हैं । अत: राज्य को प्रदूषण से निजात दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

2.	श्री राकेश कुमार रौशन, स०वि०स० श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स० श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, स०वि०स० श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, स०वि०स०	''बिहार सरकार ने बहुत सारे शहरी इलाकों को ग्राम पंचायत से हटाकर नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम में स्थानान्तरित किया है, लेकिन नवगठित शहरी निकायों में बहुत जगहों पर कार्यपालक पदाधिकारी का पद रिक्त है, जिसके चलते विकास की योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है । कुछ जगहों पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन वित्तीय अधिकार नहीं मिलने के कारण विकास का कार्य नहीं हो रहा है । अतः जनहित में बिहार राज्य अन्तर्गत नवगठित शहरी निकायों में अविलम्ब कार्यपालक पदाधिकारी पदस्थापित करने एवं जहाँ-जहाँ प्रभार में पदाधिकारी हैं उन्हें वित्तीय अधिकार देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	नगर विकास एवं आवास

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-04/2023- 490 / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 2.3.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-04/2023- 490 / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 2.3.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-04/2023- 490 / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 2.3.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-04/2023- ५१० / वि०स०, पटना, दिनांक- 02 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

2-3-23

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

2/3/23